**न्यायालय– विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, कन्नौज।**

**जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–262/2026**

**C.N.R.No.U.P.K.J.010005092026**

**1. पंकज पुत्र अनिल कुमार**
**2. राजीव कुमार पुत्र नाथूराम**
**3. रवि प्रकाश पुत्र छोटेलाल**

निवासीगण ग्राम वनपुरानरायनपुर थाना तिर्वा जिला कन्नौज।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

**बनाम**

उ0प्र0 राज्य ..... अभियोजन पक्ष

**सम्बन्धित विशेष सत्र परीक्षण सं0 809/2025**
अपराध सं0 170/2025
धारा–115(2),351(2),324(4) व 352 बी0एन0एस0
व धारा 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना तिर्वा व जिला कन्नौज।

**जमानत आदेश**

**12.03.2026**

**1.** प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **पंकज, राजीव कुमार व रवि प्रकाश** की ओर से मु0अ0सं0 170/2025 धारा 115(2),351(2),324(4) व 352 बी0एन0एस0 व धारा 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना तिर्वा व जिला कन्नौज के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थनापत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। वादी को नोटिस तामील है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मूल जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण पर बल दिया गया। अभियोजन की ओर से भी कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

**2.** प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पंकज आदि की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह कथन किया कि वे निर्दोष हैं उन्हें पार्टी बन्दी के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उन्होंने प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित कोई घटना कारित नहीं की है। वास्तविकता यह है कि वादी मुकदमा द्वारा अपना ट्रैक्टर तेजी व लापरवाही में चलाकर उसके आलू से लोड ट्रैक्टर में टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे आलू रोड पर फैल गया और शिकायत करने पर वादी स्वंय गाली–गलौज करने लगा तथा सत्ता पक्ष का सहारा लेकर उनके विरूद्ध यह झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उक्त आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए उचित जमानत व मुचलके पर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

**3.** उपरोक्त के विरूद्ध विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

**4.** अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा ने इस आशय की तहरीर दी कि वह अपने निवास स्थान तेरारब्बू से अपने ट्रैक्टर से आलू कन्हैया कोल्ड में लाया और वापस जाते समय लगभग समय 08:40 बजे शाम को वनपुरा अंडरपास पर पंकज व उसके ट्रैक्टर की रगड़ से एक पैकट

Digitally signed by POORNIMA PATHAK
Date: 2026.03.12 10:14:02 IST
Reason: Bail
Location: Spl Judge Sc/St Act Kannauj

आलू का फट जाने से पंकज व उनके चार साथियों द्वारा उसके साथ मारपीट की व उसका गला दबा दिया और जब उसने अपना परिचय बताया तो पंकज व उनके साथीगण ने हमे जातिसूचक गालियॉ दी और उसकी टॉपलिंग एवं रस्सा और उसके बाद हमारी गाडी के साथ तोड फोड करके गाडी की छतरी तोड। जब मैंने वनपुरा जाकर पंकज के परिजनों से कहा तो उनके अज्ञात परिजनों ने भी उसके साथ मारपीट व जातिसूचक गालियॉ दी एवं यह भी धमकी दी कि तेरे जैसे चमारो को अपने जूतों की नोंक पर रखता हूॅ और इस प्रकार जातिसूचक गालियॉ देते हुए कहा कि इस सडक से निकलना तब कर दूगां।

**5.** वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना तिर्वा जिला कन्नौज में मु0अ0सं0 170/2025 धारा 191(2),115(2),351(2),324(4) व 352 बी0एन0एस0 व धारा 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में अभियुक्तगण पंकज, पंकज के चार साथी अज्ञात व पंकज के परिजन नाम नामूलम के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। बाद विवेचना मामले में अभियुक्तगण पंकज, राजीव कुमार व रवि प्रकाश के विरूद्ध धारा 324(4),115(2),351(2),352 बी0एन0एस0 व धारा 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

**6.** उभय पक्षों के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

**7.** प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर चोटे पहुंचायी एवं वादी के ट्रैक्टर की छतरी तोड़कर रिष्टि कारित की एवं यह जानते हुए कि वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर साशय अपमानित किया। पत्रावली पर वादी की कोई भी चिकित्सीय आख्या संलग्न नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है अन्य कोई साक्ष्य संकलन हेतु शेष नहीं है। प्रकरण सात वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय है।

**8.** अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियॉ अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर केस के गुणदोष पर न जाते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

अभियुक्तगण **पंकज, राजीव कुमार व रवि प्रकाश** की ओर से उपरोक्त वर्णित मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 **पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये** का **व्यक्तिगत बंधपत्र** व समान धनराशि की **एक–एक प्रतिभू** दाखिल करने पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

**(पूर्णिमा पाठक)**
**विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट**
**कन्नौज।**
**J.O Code UP 1570**